

  
समयत्र जगते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1054]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2015/वैशाख 29, 1937

No. 1054]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2015 /VAISAKHA 29, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2015

का.आ.1336(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 3121 (अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2014 और का.आ. 3122 (अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-67 के क्रमशा: 218.200 कि.मी. से 277.400 कि.मी. तक (के.सी-1 पैकेज) करूर-कंगेयम सेक्शन और 277.400 कि.मी. से 332.600 कि.मी. तक (के.सी-2 पैकेज) कंगेयम-कोयम्बतूर सेक्शन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ('प्राधिकरण') को प्राधिकृत किया है।

अब केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 3121 (अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2014 और का.आ. 3122 (अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2014 को विखंडित करती है।

[ फा. सं. भाराराप्रा/13013/584/10-11/सीओ/जीसी करूर (218.2-277.4 और 277.4-332.6)]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2015

**S.O.1336(E).**— In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notifications number S.O. 3121(E), dated 10th December, 2014 and S.O. 3122(E), dated 10th December, 2014 of the Government of India has authorized National Highways Authority of India (the “Authority”) to levy and collect fee on mechanical vehicles for the use of Karur - Kangeyam Section from km 218.200 to km 277.400 (KC-1 Package) and Kangeyam – Coimbatore Section from km 277.400 to km 332.600 (KC-2 Package) of NH – 67 in the State of Tamil Nadu respectively.

Now, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act 1956, (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby rescinds the notifications number S.O. 3121(E) dated 10th December, 2014 and S.O. 3122(E) dated 10th December, 2014.

[F. No. NHAI/13013/584/10-11/CO/GC Karur (218.2-277.4 & 277.4-332.6)]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.